रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924

No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2002

बिहार पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2002

सा. का. नि. 241(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"चूंकि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 66 के अंतर्गत आने वाले सांविधिक निगमों के कर्मचारियों के आबंटन की बाबत कठिनाई उद्भूत हुई है;

और चूंकि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना और अन्य द्वारा फाइल की गई 2001 की लैटर्स पेटेन्ट अपील संख्या 428 में तारीख 19-7-2001 के अपने आदेश में यह अभिनिर्धारित किया है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के भाग 7 के उपबंध सांविधिक निगमों के कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होते, और सांविधिक निगम उक्त अधिनियम के भाग 8 के उपबंधों के अंतर्गत आएंगे। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि इस भाग में सांविधिक निगमों के विभाजन या विघटन अथवा उनके कर्मचारियों के आबंटन के लिए कोई उपबंध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने आगे मत व्यक्त किया है कि किसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति उक्त अधिनियम की धारा 92 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति में निहित की गई है और तदनुसार उक्त समिति को उसके कर्मचारियों के आबंटन के संबंध में समुचित निदेशों के लिए केन्द्रीय सरकार को समावेदन करने की सलाह दी गई थी।

अत: अब राष्ट्रपति, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 92 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बिहार पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2002 है।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

2 बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 66 के अधीन आने वाले सांविधिक निगमों या निकायों की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का आबंटन उत्तरवर्ती बिहार और झारखंड राज्यों के बीच पारस्परिक सहमति से किया जाएगा और किसी असहमति की दशा में, उन दोनों राज्यों में से किसी के द्वारा किए जाने वाले संदर्भ पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

नई दिल्ली,

दिनांक, 22 मार्च, 2002

के. आर. नारायणन,

राष्ट्रपति।"

[सं. 12012/21/2000-एस आर (भाग-V)]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2002

The Bihar Reorganisation (Removal of Diffculties) Order, 2002

G.S.R. 241 (E).— The following Order made by the President is published for general information :—

"Whereas, a difficulty has arisen with respect to the allocation of employees of the statutory corporations covered by section 66 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000);

And whereas, the High Court of Judicature at Patna, in its Order dated 19-7-2001 in Letters Patent Appeal No. 428 of 2001 filed by the Bihar School Examination Board, Patna and others, has held that the provisions of Part VII of the Bihar Reorganisation Act, 2000 do not apply to employees of the statutory corporations, and that the statutory corporations will be covered by the provisions of Part VIII of the said Act. The High Court has also held that this Part does not have any provisions for division or dissolution of the statutory corporations or allocation of their employees. The Hon'ble High Court has further observed that the power to remove any difficulty has been vested in the President under the provisions of section 92 of the said Act and accordingly the said Board was advised to move the Central Government for appropriate directions with regard to the allocation of its employees;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 92 of the Bihar Reorganisation Act, 2000, the President hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Bihar Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2002.

(2) It shall come into force at once.

2. The allocation of assets, liabilities and employees of the statutory corporations or bodies covered under section 66 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 shall be done by mutual agreement between the successor States of Bihar and Jharkhand and in the event of any disagreement, by the Central Government, on a reference being made by either of the States.

New Delhi,

Dated 22-3-2002

K. R. NARAYANAN,

PRESIDENT."

[F. No. 12012/21/2000-SR (Part-V)]

R. K. SINGH, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054